रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एल.)-78 REGISTERED No. D. (D.L.)-78

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 405] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 29, 1986/भाद्र 7, 1908
No. 405] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 29, 1986/BHADRA 7, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

नई दिल्ली 29 अगस्त, 1986

शुद्धि-पत्र

सा. का. नि. 1052 (अ)—भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड 3, उप खंड (i) तारीख बुधवार, 30 जुलाई, 1986/श्रावण 8, 1908 पृष्ठ 1 और 2 पर प्रकाशित भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 992(अ) में पैरा (1) में "और(अ)" कोष्ठकों और अक्षर के स्थान पर "(1), (2) और (अ)" कोष्ठक, अंक, शब्द और अक्षर रखें जाएंगे ।

[सं. 15(59)/78 आई सी सी]
निरुका सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

New Delhi, the 29th August, 1986

CORRIGENDUM

G.S.R. 1052(E).—In the notification of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) Number G.S.R. 992(E) published in the Gazette of India—Extraordinary Part II Section 3 Sub-Section (i) dated Wednesday, the 30th July, 1986|Sravana 8, 1908, in page 2, in paragraph (1) for the words "and (j) of sub-section (2)" read "(i), (ii) and (j) of sub-section (2)".

[No. 15(59)|78-ICC]

NIKKA SINGH, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986